

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 87] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 13, 1969/वैशाख 23, 1891

No. 87] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 13, 1969/VAISAKHA 23, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

(P. and T. Board)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 13th May 1969

G.S.R. 1191.—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Post Office Rules, 1933, namely:—

1 (1) These rules may be called the Indian Post Office (Fourth Amendment) Rules, 1969.

(2) They shall come into force on the 15th May, 1969.

2. In rule 1 of the Indian Post Office Rules, 1933, for the entries under the heading "Registered Newspapers", the following entries shall be substituted, namely:—

"In the case of a single copy of a Registered Newspaper:—

For a weight not exceeding sixty grams .. 2 paise

For a weight exceeding sixty grams and not exceeding one hundred grams .. 5 paise

For a weight exceeding one hundred grams
and not exceeding two hundred and
fifty grams .. 10 paise

For every two hundred and fifty grams
or fraction thereof, exceeding two
hundred and fifty grams .. 5 paise

In the case of more than one copy of the
same issue of a Registered
Newspaper being carried in the
same packet :—

For a weight not exceeding one hundred
grams 5 paise

For every additional one hundred and fifty
grams or fraction thereof, exceeding
one hundred grams .. 5 paise

[No. 1-12/69-R.]

G.S.R. 1192.—In exercise of the powers conferred by section 7, 16, 28 and 74 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Post Office Rules, 1933, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Post Office (Fifth Amendment) Rules, 1969.

(2) They shall come into force on the 15th May, 1969

2. In the Indian Post Office Rules, 1933,—

(1) in rule 59, for the figures and word “70 paise”, the figures and word “75 paise” shall be substituted;

(2) in rule 194, in the entry under the heading “Registration Envelopes”, for the figures and word “90 paise”, the figures and word “95 paise” shall be substituted.

[No. 1-12/69-R/I.]

L. K. NARAYANASWAMY,
Senior Member (Posts)
and

Ex-Officio Additional Secretary.

संचार विभाग

(डाक नर बंड)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 13 मई, 1969

सा० का० दि० 1193.—भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय डाकघर नियम, 1923 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिये एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. (1) ये नियम भारतीय डाकघर (चौथा संशोधन) नियम, 1969 कहे जा सकेंगे।

(2) ये नियम 15 मई, 1969 को लागू हो जायेंगे।

2. भारतीय डाकघर नियम, 1933 के नियम 1 में “रजिस्ट्री हून समाचार पत्र” शीर्षक के

अन्तर्गत आने वाली प्रविष्टियों के लिये निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्—

“किसी रजिस्ट्रीकृत समाचार पत्र की एक ही प्रति की वशा में—

साठ ग्राम से अनधिक वजन के लिये 2 पैसे

साठ ग्राम से अधिक और एक सौ ग्राम से अनधिक वजन के लिये 5 पैसे

एक सौ ग्राम से अधिक और दो सौ पचास ग्राम से अनधिक वजन के लिये 10 पैसे

दो सौ पचास ग्राम से अधिक होने पर, प्रत्येक दो सौ पचास ग्राम या उसके किसी अंश के लिये 5 पैसे

किसी रजिस्ट्रीकृत समाचार पत्र के एक ही अंक की एक से अधिक प्रतिलिपियों के एक ही पैकिट में ले जाने पर—

एक सौ ग्राम से अनधिक वजन के लिये 5 पैसे

एक सौ ग्राम से अधिक होने पर, प्रत्येक अतिरिक्त एक सौ पचास ग्राम या उसके किसी अंश के लिये 5 पैसे

[सं० 1-12/69-आर०]

सा० का० नि० 1194.—भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारायें 7, 16, 28 और 74 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार भारतीय डाकघर नियम, 1933 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिये एन्ड द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. (1) ये नियम भारतीय डाकघर (पांचवां संशोधन) नियम, 1969 कहे जा सकेंगे।

(2) ये 15 मई, 1969 को लागू होंगे।

2. भारतीय डाकघर नियम, 1933 में—

(1) नियम 59 में, अंक और शब्द “70 पैसे” के लिये, अंक और शब्द “75 पैसे” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(2) नियम 194 में, “रजिस्ट्री लिफाफे” शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली प्रविष्टि में अंक और शब्द “90 पैसे” के लिये अंक और शब्द “95 पैसे” प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० 1-12/69-आर०/1]

एल० के० नारायणस्वामी,

प्रवर सदस्य (डाक)

एवं

भारत सरकार के पदेन अपर सचिव।

